

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र

CY 945051

28 JUN 2016

सचिव, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ. प्रथम पक्ष श्री गुप्ता
कैटर्स, प्रोपराइटर, देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व० जगदीश नारायण गुप्ता, निवासी-3155/15 क,
महेश प्रसाद स्ट्रीट, मौलवीगंज लखनऊ..... द्वितीय पक्ष


1. प्रथम पक्ष कैन्टीन लगाने का स्थान नवयुग कन्या महाविद्यालय परिसर के अन्दर द्वितीय पक्ष को किराये पर दे रहा है।
2. महाविद्यालय द्वारा कैम्पस के अन्दर जो स्थान उपलब्ध कराया जायेगा उसमें द्वितीय पक्ष द्वारा कोई स्थाई निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष कैन्टीन किसी अन्य को किराये पर नहीं देगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन में जो भी सामग्री रखी जायेगी उसकी मूल्य सूची कैन्टीन के बाहर लगायेगा एवं उसकी एक प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।
5. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं कैन्टीन सामग्री की सुरक्षा पर द्वितीय पक्ष पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा एवं कूड़े की सफाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करनी होगी।
6. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में अनुशासन बनाये रखेगा तथा उसे प्रथम पक्ष द्वारा महाविद्यालय स्थान के अतिरिक्त केवल पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन प्रारम्भ से पूर्व ₹ 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि सचिव, नवयुग कन्या विद्यालय सोसाइटी के पक्ष में जमा करना होगा। जो कि कैन्टीन खाली करने पर वापस किया जायेगा, जिस पर कोई ब्याज देय न होगा। (पिछले वर्ष जमा)
8. द्वितीय पक्ष को वार्षिक कैन्टीन का किराया ₹ 80,000.00 (रुपये अस्सी हजार मात्र) देना होगा। इसमें प्रतिभूति राशि सम्मिलित नहीं है। उक्त धनराशि रुपये 20,000.00 माह जुलाई, 2016 के प्रथम सप्ताह में तथा अगस्त, 2016 से जनवरी, 17 तक ₹ 10,000.00 प्रति माह के हिसाब से छः पोस्ट डेटेड चेकें देय होंगी। चेक बाउन्स होने की दशा में बैंक के समस्त चार्ज देना होगा। यदि किन्ही कारणों वश पैसा सही समय से नहीं जमा होगा तो उस स्थिति में 15% प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज देय होगा।

क्रमशः.....02 पर

भारतीय गैर न्यायिक एक सौ रूपये के मूल्य के स्टैम्प पर संख्या: डी0जी0 160049 दिनांक: 16 जुलाई, 2016 के क्रम संख्या 5408 पर कैंटीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र के क्रमांक 08 से आगे...

9. बिजली व्यय हेतु महाविद्यालय द्वारा नया सब मीटर लगाया जायेगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा उपभोग किये गए यूनिट कामर्शियल दर के हिसाब से प्रतिमाह भुगतान करना होगा।
10. द्वितीय पक्ष कैंटीन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति नहीं होने देगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे छात्राओं, महाविद्यालय स्टाफ को कोई परेशानी हो तथा यह कैंटीन केवल महाविद्यालय के लिये है। अतः बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा।
11. कैंटीन में कार्यरत कर्मियों का फोटो प्राचार्या द्वारा प्रमाणित होगा और उसे वह महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखेगा।
12. उपरोक्त किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर यह अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा। उक्त में किसी भी प्रकार का किरायेदारी विवाद होने पर प्रबन्ध समिति का निर्णय अन्तिम होगा। यह अनुबन्ध जुलाई, 2016 से ~~अर्द्ध~~ 2017 तक किया जा रहा है। एक वर्ष पूर्ण होने पर यह अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।


हस्ताक्षर प्रथम पक्ष,



सचिव,

नवयुग कन्या विद्यालय सोसाइटी,
लखनऊ

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष,



उक्त अनुबन्ध पत्र मेरे समक्ष दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

जी. रंजिता कुमारी

नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ

गवाह नं०-01

हस्ताक्षर पूरा पता सहित।

गवाह नं०-02

हस्ताक्षर पूरा पता सहित।

15/7/16 क. महिला प्रसाइडर
मो. विभाग, लखनऊ

पन्द्र कुमार गुप्ता

श्री गणेशाय नमः

M: 8423181600



: 8081555895

Shri Gupta Caterers

CANTEEN

रेट लिस्ट

चाय		05/-
डीप चाय (टी बैग)		06/-
काफी		10/-
समोसा		05/-
ब्रेड पकौड़ा		05/-
मिक्स पकौड़ी (6 पीस)		10/-
आलू पेटीज		06/-
पनीर पेटीज		10/-
सैण्डविच		15/-
खस्ता आलू		05/-
छोला भटूरा (2 पीस)		12/-
पूड़ी सब्जी (4 पीस)		15/-
छोला चावल		10/-
चाउमीन		10/-
पास्ता		10/-
माइक्रोनी		10/-
फ्राइड राइस		10/-
वेज मोमोज (4 पीस)		10/-
बर्गर		10/-
मसाला डोसा		15/-
इटली सांभर		20/-
पानी के बताशे (8 पीस)		10/-
आलू टिक्की		10/-
दही बड़ा		10/-
गुलाब जामुन		10/-



Don't miss

नोट :- दोना, कागज टब में ही डालें।